प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 20.04.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को किया गया बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा गुमशुदा व्यक्ति रजत पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय निवासी गोपीपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर हा0मु0 सेमरा (मगहर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को **नरीमन प्वाइंट मुम्बई** से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

दिनाँक 09.02.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर एक व्यक्ति के दिल्ली से खलीलाबाद आते समय गुम हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुयी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस द्वारा गुमशुदगी पंजीकृत कर विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया एवं तलाश किया गया। गुमशुदा की बरामदगी हेतु सर्विलांस सेल की टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से गुमशुदा का लोकेशन ट्रेस किया गया। जिसके उपरान्त पुलिस टीम मुम्बई राज्य के लिए रवाना हुयी, लापता व्यक्ति नरीमन प्वाइंट मुम्बई में मिले। जिनको बरामद कर सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

पूछताछ विवरणः- पूछताछ करने पर गुमशुदा व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मै दिल्ली में रहकर अरिहन्त डायग्नोसिस्ट में रेडियोग्राफर का काम करता था, मै नौकरी के साथ साथ कई वर्षों से पैरा मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था परन्तु सफलता नही मिलने एवं आर्थिक तंगी की वजह से मै काफी परेशान था। दिनाँक 07.02.2026 को मै दिल्ली से प्राईवेट बस से अपने मामा के घर सेमरा (मगहर) के लिए निकला, दिनाँक 08.02.2026 को दिन में लगभग 01 बजे के करीब मुझे खलीलाबाद उतरना था लेकिन मै परेशान था इसलिए खलीलाबाद न उतरकर मै गोरखपुर के नौसड़ तिराहे पर उतरा और घरवालों को फोन से बताया कि बस चालक ने मुझे जबरदस्ती गोरखपुर में उतार दिया है। फिर मैने अपना मोबाईल नौसड़ में ही बन्द करके सरकारी बस से रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुँचा और वहाँ ट्रेन पकड़कर बनारस चला गया। बनारस में 04 दिन रहा उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़कर उत्तराखंड के हरिद्वारा, ऋषिकेश में लगभग डेढ़ महीने रहा उस दौरान ऋषिकेश में शिवशक्ति नामक हास्टल में मैने डेढ़ महीने प्रॉपर्टी मैनेजर की नौकरी भी किया। दिनाँक 05.04.2026 को उत्तराखंड से गोवा चला गया। गोवा से घुमते हुए मै मुम्बई के गेटवे ऑफ इण्डिया, नरीमन प्वाईंट भी गया। नरीमन प्वाइंट पर समुद्र के किनारे मै अकेले बैठा था तभी पुलिस की टीम मेरे पास आयी और मुझे वापस ले आयी।

बरामदगी टीम का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद यादव चौकी प्रभारी मगहर, हे0का0 करमचन्द।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 190/2026 धारा 115(2),352,351(3),191(2),191(3),333,109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता अनिल कुमार चौधरी पुत्र बिन्देश्वरी निवासी ग्राम भैसासेहरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 20.04.2026 को उसके रिस्तेदार के घर ग्राम बरहट से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 24.03.2026 को वादी श्री रामप्रताप पुत्र सुदेश्वरी निवासी भैसासेहरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि आवेदक व उनकी पत्नी व पुत्री को दिनांक 23.03.2026 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज व सरिया से मारपीट करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 20.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उमाशंकर त्रिपाठी, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 धिराऊ निवासी बरईपार पैठान थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त दिलीप पुत्र अवध राज निवासी देवरिया बाबू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामनयन आर्या।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 23 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा भटक रही अज्ञात गुंगी बालिका की पहचान कर उसके परिजनो को किया गया सुपुर्द – पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कसैला से कालर द्वारा भटक रही अज्ञात गुंगी बालिका के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से कालर द्वारा बताये पते पर पहुँचकर आस-पास तथा गाँव के लोगों की सहायता से उक्त बालिका की पहचान का प्रयास किया गया तत्पश्चात काफी कोशिश के उपरान्त उक्त गूंगी बालिका की पहचान कालर के गाँव की ही संजीवनी पुत्री स्व0 रामजनम निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई उक्त सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा बालिका को उसकी माँ निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सकुशल सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से गूंगी बालिका को परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 संतोष कुमार शुक्ला, म0मु0आ0 पुष्पा शर्मा, म0आ0 किरन यादव, हो0गा0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 195 वाहनों से 2,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 195 वाहनों से 2,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 1161/2025 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 244/2026 धारा 305A,331(4),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द पुत्र इन्द्रजीत निवासी बड़की पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चोरी के 01 अदद सफेद धातु पायल व 3610 रु0 नगद के साथ सोनी होटल के पास से आज दिनाँक 20.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 244/2026 उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-**

प्रथम घटना

दिनाँक 14.12.2025 को वादिनी श्रीमती विन्दा देवी पुत्र सुरेश कुमार सिंह निवासी ग्राम चुरेब थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 09/10.12.202 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादिनी की शौचालय का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1161/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटना

दिनाँक 05.04.2026 को वादी श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री दौलत लाल श्रीवास्तव निवासी स्टेशन पुरवा, निकट समय माता मन्दिर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 31.03.2026 को अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर आलमारी से सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 244/2025 धारा 350A,331(4),317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरविन्द पुत्र इन्द्रजीत निवासी बड़की पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद सफेद धातु पायल

3610 रु0 नगद।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं ग्राम चुरेब में शौचालय का सामान व स्टेशन पुरवा समय माता मन्दिर के पास से घर में चोरी किया हूं तथा चोरी के सामान को बेचा हूं। मैं चोरी कर सामान बेचकर खाता पीता व मौज मस्ती करता हूं तथा यह जो रुपया व सामान है वह चोरी का ही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री उमाशंकर तिवारी, उ0नि0 श्री हरिकेश बहादुर सिंह, हे0का0 यूसुफ, का0 अनिल कुमार बिन्द्रा।